



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032023-244826
CG-DL-E-31032023-244826

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194]
No. 194]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

संख्या 15/2023-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 241(अ).— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 01) की धारा 5क की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 793 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

सारणी में, क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) के पश्चात, परंतुक में, अंक "2023" के स्थान पर, अंक "2024" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 190354/295/2021-टीआरयू]

विक्रम वानरे, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 793 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 31/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 सितम्बर, 2022, जिसे सा.का.नि. 753 (अ) दिनांक 30 सितम्बर, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

No. 15/2023-Central Excise

G.S.R.241(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2017-Central Excise, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 793(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

- I. in the Table, against Sl. No. 3, in column (3), after item (ii), in the proviso, for the figures “2023”, the 2024” shall be substituted.

[F. No. 190354/295/2021-TRU]

VIKRAM WANERE, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 11/2017-Central Excise, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 793(E), dated the 30th June, 2017 and last amended by notification No.31/2022-Central Excise, dated the 30th September, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 753 (E), dated the 30th September, 2022.